an>

Title: Need to make Budhist Personal Law in the country.

श्री नाना पटोले : माननीय उपाध्यक्ष जी, देश में बौद्ध धर्म स्वातंत्र्य, समता, बंधुता तथा न्याय तत्व पर आधारित है। हिंदू विवाह कानून, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स कानून, क्रिश्चियन मैरिज वैलीडेशन कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत कानून) इत्यादि सात मान्यता प्राप्त धर्मों के आधारित कानून अस्तित्व में हैं। देश में बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बुद्धिष्ट पर्सनल लॉ कानून लागू करने के संबंध में दि लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार से कई सालों से पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी अभी तक यह मांग लंबित है। बुद्धिस्ट लॉ को मान्यता न मिलने के कारण बौद्ध धर्म में हो रही शादियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा समय-समय पर आदेश दिए हैं और निर्णय में शादियों को अवैध ठहराया है। इससे बुद्धिष्ट समाज को इससे पैदा हुई परेशानियों एवं समस्याओं के संकट को झेलना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि इस सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार बुद्धिष्ट लॉ बनाने के संबंध में शीघ्रता से कार्रवाई करे।